केस नं. 21/21

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

समन

फाईल संख्या: NCST-14013(DL)/1/2021-RU-I

छठा तल, बी विंग, लोक नायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

सेवा में,

श्री मंगू सिंह,
प्रबंध निदेशक,
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोशन लि.,
मेट्रो भवन, फायर ब्रिगेड लेन, बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली-110001
(Ph. No. 011-23418310)
(Email: mdmetro@dmrc.org)

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामले का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य श्री अनंत नायक के समक्ष दिनांक **07.09.2021 को 03:30** बजे आपकी वैयक्तिक रूप से उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा जांच के लिए संबंधित दस्तावेज अपने साथ लायें।

मामले का संदर्भ : डी.एम.आर.सी के अधिकारियों द्वारा उत्पीडन करने के संबंध में-श्रीमती गीता मीणा, रिकॉर्ड कीपर (इम्प्लाई नं. 15205), डी.एम.आर.सी, नजफगढ डिपो का दिनांक 07.01.2021 का अभ्यावेदन।

(2) डी.एम.आर.सी का पत्र संख्याः डी.एम.आर.सी/एच.आर/ओएण्डएम/15205/2021 दिनांक 24.06.2021

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत कारण के इस आदेश का अनुपालन नहीं करते है तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिए गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

वर्ष 2021 के सितम्बर मास के प्रथम दिन मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग / NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

न्यायालय अधिकारी
Court Officer
National Commission for Scheduled Tribes
Government of India
Lok Nayak, Bhawan, New Delhi-110003